महत्वपूर्ण

संख्या– 919 /सैंतीस–2–2024

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव,
पशुधन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनांक 29 अप्रैल, 2024

विषयः–प्रदेश में चल रही हीट–वेव/गर्मी के प्रकोप से गो–आश्रय स्थल के पशुओं के बचाव एवं भूसा क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु एवं लू का प्रकोप संभावित है। उक्त के दृष्टिगत गो–आश्रय स्थलों के पशुओं के चारे–पानी एवं शेड की समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करते हुए निम्नवत् कार्यवाही की जायः–

1– गो–आश्रय स्थलों में बनाई गयी नादों को नियमित रूप से ताजे पानी से भरवाया जाय, यदि ट्यूबवेल है तो उन्हें नियमित संचालित किया जाय। खराब ट्यूबवेल्स की मरम्मत करवा लिया जाय।

2– स्वच्छ पानी एवं हरे चारे की समुचित व्यवस्था की जाय। यदि हरे चारे की कमी हो, तो भूसे का गीला करके उसमें चोकर मिला कर गोवंश को दिया जाय। गोवंशों को छाया में रखने के लिए समुचित व्यवस्था की जाय।

3– गो–आश्रय स्थलों में बने हुए शेडों के किनारे तिरपाल, बोरे, टाट आदि जो भी उपलब्ध हो उसे कवर करवा दिया जाय जिससे गर्म लू और हवा के थपेड़ों से बचाव किया जा सके।

4– प्रत्येक सप्ताह पशु चिकित्सक अपने अधीन गो–आश्रय स्थल का भ्रमण करते हुए पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करें। यदि कोई पशु बीमार है तो उसका समुचित इलाज और उपचार सुनिश्चित किया जाय तथा पोर्टल पर समुचित प्रविष्टि भी की जाय।

5— वृद्धावस्था एवं गंभीर बीमारी में मृत्यु होने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शव का निस्तारण कराया जाय। किसी भी दशा में शव को इधर–उधर न फेंका जाय।

6— गेहूँ की कटाई हो चुकी है और वर्तमान में भूसा सस्ते दरों पर उपलब्ध है। अतः प्रत्येक गो–आश्रय स्थल के लिए आवश्यकतानुसार समुचित मात्रा में भूसे का क्रय कर लिया जाय। जहाँ भूसा गोदाम निर्मित हैं वहाँ उसमें भूसा संरक्षित किया जाय, जहाँ निर्मित नहीं है वहाँ उसे परम्परागत विधि से खरही, भक्कू, खोप आदि बनाकर संरक्षित कर लिया जाय।

7— उपरोक्त निर्देशों के संबंध में सूचनाएँ प्रतिदिन 04:00 बजे तक निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जाय। इस हेतु तत्कालिक प्रभाव से प्रारूप बनाते हुए गूगल शीट पर सूचनाएँ ली जाँय तथा सी0पी0एम0यू0 के माध्यम से यथाशीघ्र आनलाइन पोर्टल तैयार किया जाय जिससे सूचनाएँ पोर्टल पर दर्ज की जाय एवं उसका अनुश्रवण किया जा सके।

8— विशेष दृष्टव्य यह है कि भूसा की खरीद की प्रतिदिन एवं प्रगामी सूचना प्रत्येक दिवस को 04:00 बजे तक निदेशालय को दी जाय एवं निदेशालय के गोवंश संरक्षण सेल/सी0पी0एम0यू0 द्वारा सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—अपर निदेशक, (गोधन) पशुपालन निदेशालय उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु आज ही गूगल शीट तैयार कराना सुनिश्चित करें एवं किसी बिन्दु पर संभ्रम या अस्पष्टता की स्थिति में शासन से आज ही सम्पर्क कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

2—निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।